



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166727

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या- 7802

सन् 2026

शिव कुमार और अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

---

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

---

न्यायालय संख्या - 71

### माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष पांडे की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार मिश्रा ने शुरुआत में ही यह बताया कि शपथपत्र में यह घोषणा की गई है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदक संख्या 1 का दो प्रकरणों का आपराधिक इतिहास है, जिनकी कार्यवाही को इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या 28849 वर्ष 2011 एवं 6068 वर्ष 2012 के माध्यम से चुनौती दी गई है। एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष लंबित है और दूसरा, अर्थात् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या 28849 वर्ष 2011, निस्तारित किया जा चुका है।

2. इस प्रकार दिए गए कथन के मददेनजर, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें आवेदक संख्या 1 के प्रकरण में यह प्रार्थना पत्र वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए, साथ ही उन्हें एक नई प्रार्थना पत्र दाखिल करने की छूट भी दी जाए जिसमें आवेदक संख्या 1

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के आपराधिक इतिहास के बारे में विस्तार से बताया गया हो, जैसा कि न्यायालय के नियमों के अध्याय XVIII, नियम 18(7) के अंतर्गत अपेक्षित है।

3. इस तरह, आवेदक संख्या 1 के संबंध में यह प्रार्थना पत्र उक्त छूट के साथ वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।

4. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक संख्या 1 के संबंध में, यदि कोई अग्रिम जमानत निरस्तीकरण आदेश की प्रमाणित प्रति हो, तो उसे वापस कर दिया जाए।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष पांडे की ओर से पेश अधिवक्ता श्री राजेश कुमार मिश्रा की दलीलें सुनी गईं।

6. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 105 सन् 2026 के अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बी.एन.एस. 2023, थाना- गौर, जिला बस्ती में आवेदक की ओर से दायर की गई है। इसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

7. आवेदक संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक संख्या 2 को आठ अन्य नामजद अभियुक्तों के साथ झूठे प्रकरण में फँसाया गया है। उनका तर्क है कि हालाँकि पाँच लोग घायल हुए हैं, लेकिन किसी को भी ऐसी चोट नहीं आई है जिसे गंभीर या जानलेवा माना जा सके। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में बारह घंटे की देरी हुई है। मेडिकल जाँच अगले दिन की गई। इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार यादव को आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 8021/2026 में अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

8. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य से विवाद नहीं किया है कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार यादव को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।



10. हालाँकि पाँच लोग घायल हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसी कोई चोट नहीं आई है जिसे गंभीर या जानलेवा माना जा सके। इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार यादव को इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है। आवेदक संख्या 2 का प्रकरण भी सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार यादव के प्रकरण जैसा ही है।

11. चोटों की संख्या और उनकी प्रकृति, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामज़द अभियुक्तों की संख्या और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार यादव को इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है, आवेदक संख्या 2 को अग्रिम जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।

12. आवेदक संख्या 2 का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

13. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित **आवेदक संख्या 2- गौरव उर्फ अभय अग्रहरि** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करे तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- i. आवेदक संख्या 2 पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए ज़रूरत पड़ने पर हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक संख्या 2 प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक संख्या 2 न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक संख्या 2 अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

14. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

कुशल

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।